UPMA010040522025

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, जनपद मऊ(उ०प्र०)।
पीठासीन अधिकारी–संजय कुमार यादव–III(एच.जे.एस.)
ID Code–UP2023
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०–340/2025

रवि चौहान–––––––बनाम–––––उ०प्र० राज्य व अन्य

दिनांकः 10.06.2026

(1) पत्रावली पेश हुई। आवेदक/प्रस्तावित निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 8ख अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता बल न देने का अंकन किया गया है।

(2) पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.05.2025 के विरूद्ध एक दिन विलम्ब से संस्थित किया गया था। उक्त हुये विलम्ब के संबन्ध में आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र 8ख अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है परन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर बल न देने का अंकन किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने से उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है साथ ही आवेदक द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी समय सीमा के भीतर प्रस्तुत न किये जाने से उसके ग्राहयता के बिन्दु पर सुने जाने का कोई विधिसंगत आधार नहीं है। उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

(3) आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 8ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बल न दिये जाने के कारण प्रस्तुत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद निरस्त किया जाता है। तदनुसार प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी समय सीमा के भीतर प्रस्तुत न किये जाने से उसके ग्राहयता के बिन्दु पर सुने जाने का विधिसंगत आधार न होने के कारण पत्रावली निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सत्र न्यायाधीश
मऊ

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2026.06.11 07:45:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court